



पत्रांक:- 436 / 51 प्रो याता0(क)-उ0 / 2019

दिनांक 07.05.2019

सेवा में

मुख्य अभियन्ता,
क्षेत्रीय कार्यालय,
लोक निर्माण विभाग,
टिहरी / पौड़ी / हल्द्वानी।

विषय:- वार्षिक अनुरक्षण वर्ष 2019-20 के अन्तर्गत मार्गों के नवीनीकरण मद में राज्य मार्गों हेतु बी.सी. द्वारा नवीनीकरण अनुमोदन किये जाने के सम्बन्ध में।


सन्दर्भ:- इस कार्यालय का पत्रांक 353 / 14याता0(क)-उ / 2019 दिनांक 09.04.2019।

इस कार्यालय के उपर्युक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। दिनांक 05.05.2019 को समस्त मुख्य अभियन्ता (क्षेत्रीय कार्यालय) के साथ हुई बैठक में विचार-विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि जिन राज्य मार्गों में बी.सी. द्वारा नवीनीकरण कार्य हेतु निविदाएँ स्वीकृत एवं अनुबन्ध गठन की कार्यवाही की जा चुकी है, उन मार्गों में निविदाओं / अनुबन्धों के विरुद्ध स्वीकृत लागत के अन्तर्गत बी.सी. कार्य कराया जा सकता है। जिन कार्यों की निविदाएँ आमंत्रित हैं, तथा प्राप्त नहीं हुई है, उनमें मितव्ययिता एवं सीमित धनराशि के बजट प्राविधान को देखते हुए नवीनीकरण यथा संशोधन करते हुए एस.डी.बी.सी. कार्य हेतु ही निविदाएँ प्राप्त करने की कार्यवाही करें। सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता इसकी सूचना तत्काल उपलब्ध करायें। अनुरक्षण मद में सीमित धनराशि उपलब्ध होने के कारण शेष कार्यों पर पूर्व में अनुमोदित सतह के अनुसार नवीनीकरण कार्य करवाया जाना सुनिश्चित करें।

(हरिओम शर्मा)

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

- प्रतिलिपि:- 1. अधीक्षण अभियन्ता, द्वितीय / षष्ठम् / सप्तम् / अष्टम् वृत्त, लो0नि0वि0, नैनीताल / उत्तरकाशी / चमोली / टिहरी को सूचनार्थ प्रेषित।
2. अपर सहायक अभियन्ता (प्रा0) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।


7/5/19
प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
07/05/2019